रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 1967/श्रावण 18, 1889

No. 110A] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 1967/SRAVANA 18, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August 1967

No. 41/3/CI/67.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 8th August, 1967, is hereby published for general information:—

"No. 303

Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha

(Fifth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the following amendments approved by Lok Sabha to the said Rules are hereby published:—

Rule 34

1. Rule 34 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and the following sub-rule (2) shall be added thereafter, namely:—

"(2) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only".

Rule 54

2(1) After sub-rule (3) of rule 54, the following sub-rule (3A) shall be inserted, namely:—

"(3A) Where a notice of a short notice question is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only."

(2) In sub-rule (4) of rule 54, for the words "the names of the other members shall be bracketed with the name of the member whose question has been accepted for answer", the following words shall be substituted, namely:—

"names of not more than four members, other than the one whose notice has been admitted, as determined by ballot, shall be shown against the admitted question"

(3) For the second proviso to sub-rule (4) of rule 54, the following shall be substituted, namely:—

"Provided further that in the case of consolidated question, names of not more than four members, other than the one whose notice has been admitted, as determined by ballot, shall be shown against the question."

Rule 55

3. (1) or the second proviso to sub-rule (2) of rule 55, the following shall be substituted, namely:—

"Provided further that if a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only."

(2) For the existing proviso to sub-rule (5) of rule 55, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that not more than four members who have previously intimated to the Secretary may be permitted to ask a question each for the purpose of further elucidating any matter of fact.

Explanation.—A member wishing to ask a question shall make such request in writing before the commencement of the sitting at which the discussion is to take place. If such requests are received from more than four members, a ballot shall be held to determine the names of first four members who may be permitted to ask a question each."

Rule 201

4. In the last sentence of sub-rule (3) of rule 201, after the words "the Speaker" the following words shall be inserted, namely:—

"or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be,".

Rule 387B

5. After rule 387A; the following rule 387B shall be inserted namely:—

"387B. *Application of rules to business pertaining to a State under the President's rule.*—These rules shall, with such variations or modifications, as the Speaker may from time to time make, apply to the business pertaining to a State, the powers of whose Legislature are, by virtue of a Proclamation issued by the President under Article 356 of the Constitution, exercisable by or under the authority of Parliament."

S. L. SHAKDHER,
Secretary."

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त 1967

संख्या 41/3/सी० आई०/67.—निम्नलिखित पैरा जो दिनांक 8 अगस्त, 1967 के लोक-सभा समाचार भाग 2 में प्रकाशित हुआ था, एतद् द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संख्या 303

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम (पांचवां संस्करण) में संशोधन

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम 331 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, उक्त नियमों में लोक-सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद् द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

नियम 34

1. नियम 34 की संख्या बदल कर उसी का उप-नियम (1) कर दी जायेगी और निम्न-लिखित उप-नियम (2) उसके पश्चात् जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

> "(2) जब किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्य ने हस्ताक्षर किये हों तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी मानी जायेगी।"

नियम 54

2. (1) नियम 54 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम (3क) निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

> "(3क) जब अल्प सूचना प्रश्न की सूचना पर एक से अधिक सदस्य ने हस्ताक्षर किये हों तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी मानी जायेगी।"

(2) नियम 54 के उप-नियम (4) में, इन शब्दों "अन्य सदस्यों के नाम उस सदस्य के नाम के साथ रख दिये जायेंगे, जिसका प्रश्न उत्तर के लिये स्वीकार कर लिया गया हो" के स्थान पर निम्न-लिखित शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :—

> "जिस सदस्य की सूचना स्वीकार कर ली गयी हो, उसके अतिरिक्त, बैलट द्वारा निर्धारित रूप में अधिक से अधिक चार सदस्यों के नाम स्वीकृत प्रश्न के सामने दिये जायेंगे।"

(3) नियम 54 के उप-नियम (4) के दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

> "परन्तु यह और भी कि समेकित प्रश्न की अवस्था में, जिस सदस्य की सूचना स्वीकार कर ली गयी हो, उसके अतिरिक्त बैलट द्वारा निर्धारित रूप में अधिक से अधिक चार सदस्यों के नाम प्रश्न के सामने दिये जायेंगे।"

नियम 55

3. (1) नियम 55 के उप-नियम (2) के दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि यदि सूचना पर एक से अधिक सदस्य ने हस्ताक्षर किये हों तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी मानी जायेगी ।"

(2) नियम 55 के उप-नियम (5) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु अधिक से अधिक चार सदस्यों को, जिन्होंने सचिव को पहले सूचित कर दिया हो, किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

व्याख्या—जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहे वह जिस दिन चर्चा होनी हो उस दिन बैठक के आरम्भ होने से पहले इसके लिए लिखित रूप में प्रार्थना करेगा । यदि ऐसी प्रार्थनायें चार से अधिक सदस्यों से प्राप्त होंगी तो पहले चार सदस्यों के नाम निर्धारित करने के लिये बैलट किया जायेगा जिन्हें एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।"

नियम 201

4. नियम 201 के उप-नियम (3) के अन्तिम वाक्य में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति" ।

नियम 387ख

5. नियम 387 क के पश्चात् निम्नलिखित नियम 387 ख निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"387ख. **राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य से संबंधित कार्यवाही पर नियमों का लागू किया जाना.**—ये नियम, ऐसे परिवर्तनों या रूपभेदों के साथ जो अध्यक्ष समय-समय पर करें, ऐसे राज्य से सम्बन्धित कार्यवाही पर लागू होंगे जिसके विधानमण्डल की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गयी उद्घोषणा की सामर्थ्य से, संसद् द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हों ।"

श्यामलाल शकधर,

सचिव ।"

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967